# छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी–3, सी, 244–245 सेक्टर 27 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, नया रायपुर

## अधिसूचना

दिनांक 31/01/2017

क्रमांक 47 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना " **भगिनी प्रसूति सहायता योजना**" में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना/आदेश को शिथिल करते हुये निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :–

**भगिनी प्रसूति सहायता योजना :–**

**(अ) योजना का प्रावधान :–**

(i) योजना का नाम "भगिनी प्रसूति सहायता योजना होगा।

(ii) यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिला अथवा पुरूष हिताधिकारी पंजीबद्ध हो एवं अधिनियम की धारा 13 के अनुसार योजना आवेदन दिनांक से एक वर्ष पूर्व हिताधिकारी परिचय–पत्र धारी हो ।

(iii) योजना के तहत रूपये 10,000 एक मुश्त भुगतान किया जावेगा ।

(iv) प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रथम दो बच्चों को ही दिया जावेगा ।

(v) प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर प्रसूति सहायता योजना का भुगतान उसके पति (पूर्ण राशि) को देय होगा।

(vi) योजना का लाभ केवल पंजीकृत महिला श्रमिक को ही दिया जावेगा ।

(vii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा ।

**(ब) योजना हेतु पात्रता :–**

(i) निर्माण श्रमिक के रूप में एक वर्ष पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है ।

(ii) किन्तु सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसूति सहायता योजना का लाभ नही दिया जावेगा।

(iii) ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की वैध सदस्यता नहीं रखते है उन्हें प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

**(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :—**

(i) योजना का आवेदन बच्चे के जन्म पश्चात् 90 दिन तक आवेदन स्वीकृत किया जावेगा ।

(ii) योजना के तहत आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में समयावधि में प्रस्तुत करना होगा ।

(iii) शिशु का जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(iv) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कापी संलग्न कर अनिवार्य होगा ।

(v) योजना का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 30 कार्यदिवस में करना अनिवार्य होगा ।

(vi) योजना के तहत ऑन लाईन आवेदन करते समय,, बैंक पासबुक, स्वयं का मोबाईल नंबर, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(vii) आधार कार्ड नंबर देने की सहमति नियमानुसार देय होगा ।

(viii) हितग्राही द्वारा स्व घोषणा पत्र जिसमें जीवित बच्चों के नाम, उसकी आयु, लिंग तथा जिस बच्च हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका कमांक अंकित हो संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

**(द) स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी /श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी ।

**(ई) भुगतान की प्रकिया :—**

(i) प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को उपरोक्तानुसार राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए आवेदिका

के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से स्थानांतरित किया जावेगा ।

(फ) **अन्य विवरण :–**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

**उपरोक्त अधिसूचना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी ।**
**(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)**

31/1/2017

**(सविता मिश्रा)**
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

रायपुर, दिनांक 31/01/17

पृ0क्र0 / /2145–2155
**प्रतिलिपि :–**

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, नया मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ नया रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .............. (छ0ग0)
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ........... (छ0ग0)
9. एन आई सी शाखा , छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की ओर मण्डल की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
10. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
11. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

31/1/2017

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल